



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15062023-246554
CG-MH-E-15062023-246554

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]
No. 411]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 14, 2023/ज्येष्ठ 24, 1945
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 14, 2023/JYAISHTHA 24, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 14 जून, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

[सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/131.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क की उप-धारा (2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से तीसवें दिन लागू होंगे:
परंतु यह कि इन संशोधन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम III, XI, XII एवं XIV में किए गए संशोधन राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे:

परंतु यह और कि इन संशोधन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम XII में किए गए संशोधन किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के उपक्रमों की बिक्री आदि करने या उन्हें पट्टे (लीज) पर देने के मामले में लागू नहीं होंगे, जहाँ सूचीबद्ध एंटीटी के शेयरधारकों के पास सूचना (नोटिस) पहले ही भेजी जा चुकी हो:

परंतु यह और कि इन संशोधन विनियमों के विनियम 3 के उप-विनियम X में किए गए संशोधन उन निर्गमकर्ताओं (इश्युअर) के मामले में लागू होंगे, जिनके द्वारा लाए जाने वाले सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) इन विनियमों के लागू होने की तारीख को या उसके बाद खुलें।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में-

I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (द) के बाद और खंड (ध) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(दक) “मुख्य धारा की (मेनस्ट्रीम) मीडिया” में निम्नलिखित (प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक) शामिल होंगे:

- i. भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक (रजिस्ट्रार) के यहाँ रजिस्टर हुए समाचारपत्र;
- ii. भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमत न्यूज़ चैनल;
- iii. समाचारों के प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई सामग्री (कन्टेंट) और हालिया घटनाओं (करंट अफेयर्स) से संबंधित सामग्री (कन्टेंट), जैसा सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 [इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइन्स एंड डिजिटल मीडिया ऐथिक्स कोड) रूल्स, 2021] में परिभाषित किया गया है; और
- iv. दूसरे देशों में इसी प्रकार, यथास्थिति, रजिस्टर हुए या अनुमत या विनियमित (रेग्युलेटिड) समाचारपत्र या न्यूज़ चैनल या समाचार और हालिया घटनाओं से संबंधित सामग्री (कन्टेंट);”

II. विनियम 6 में, उप-विनियम (1) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(1क) यदि अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) का कोई पद खाली हो, तो वह सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा जल्द से जल्द भरा जाएगा, और जो खाली होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर ही भरना होगा:

परंतु यह कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी इस खाली पद पर किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए नियुक्त तब तक नहीं करेगी, जब तक कि इस प्रकार की जाने वाली नियुक्ति इस पद पर नई नियुक्ति किए जाने के मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार न की गई हो और उन कानूनी प्रावधानों में जिन दायित्वों का जिक्र है वे उस व्यक्ति के मामले में लागू न हों।”

III. विनियम 15 में, उप-विनियम (1क) में,

- i. दूसरे परंतुक में, शब्द, चिह्न तथा अंकों “31 मार्च, 2023” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “31 मार्च, 2024” आ जाएंगे;
- ii. स्पष्टीकरण (3) में, शब्द, चिह्न तथा अंकों “31 मार्च, 2023” के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक “31 मार्च, 2024” आ जाएंगे।

IV. विनियम 17 में, उप-विनियम (1ग) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(1घ) 1 अप्रैल, 2024 से, किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के निदेशक मंडल का कोई निदेशक अपने पद पर तभी बना रहेगा, जब इस संबंध में, यथास्थिति, उसे नियुक्त किए जाने या फिर से नियुक्त किए जाने की तारीख से प्रत्येक पाँच वर्षों में कम से कम एक बार आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिल जाए:

परंतु यह कि 31 मार्च, 2024 तक की स्थिति के अनुसार, किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के निदेशक मंडल में जो भी व्यक्ति पिछले पाँच वर्षों से या पिछले पाँच वर्षों से अधिक समय से शेयरधारकों की मंजूरी के बिना ही निदेशक पद पर बना हुआ हो, तो ऐसे में वह आगे तभी निदेशक पद पर बना रहेगा जब 31 मार्च, 2024 के बाद होने वाली पहली आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी मिल जाए:

परंतु यह और कि इस विनियम में दिया हुआ प्रावधान उस पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), प्रबंधक (मैनेजर), स्वतंत्र निदेशक या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 की उप-धारा (6) के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक के मामले में तब लागू नहीं होगा, जब उपरोक्त निदेशकों या प्रबंधकों को फिर से नियुक्त किए जाने या का कार्यकाल बढ़ाए जाने हेतु शेयरधारकों की मंजूरी लेने के संबंध में इन विनियमों या कंपनी अधिनियम, 2013 में कुछ और प्रावधान किया गया हो और उसका पालन भी कर लिया गया हो:

परंतु यह और कि इस विनियम में दिया हुआ प्रावधान न तो उस निदेशक के मामले में लागू होगा जिसकी नियुक्ति न्यायालय या न्यायाधिकरण (ट्रायब्युनल) के आदेश के अनुसार की गई हो, न ही किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी (सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को छोड़कर) के बोर्ड में सरकार द्वारा नामित किए गए निदेशक के मामले में लागू होगा, और न ही किसी सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के बोर्ड में वित्तीय क्षेत्र के किसी विनियामक (रेग्युलेटर) द्वारा नामित किए गए निदेशक के मामले में लागू होगा:

परंतु यह और कि इस विनियम में दिया हुआ प्रावधान उस निदेशक के मामले में लागू नहीं होगा, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ रजिस्टर हुई या उसके द्वारा विनियमित (रेग्युलेटिड) किसी वित्तीय संस्था द्वारा, अपने सामान्य कामकाज के दौरान किए गए किसी ऋण संबंधी करार आदि के तहत नामित किया गया हो या जिसे सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में पैसा लगाए जाने के संबंध में किए गए करार (सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट) के तहत डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) [जो बोर्ड के यहाँ रजिस्टर हो] द्वारा नामित किया गया हो।

(1ड) यदि निदेशक का कोई पद खाली हो, तो वह सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा जल्द से जल्द भरा जाएगा, और जो खाली होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर ही भरना होगा:

परंतु यह कि यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी, किसी निदेशक का कार्यकाल समाप्त हो जाने की वजह से, इस विनियम के उप-विनियम (1) में दिए हुए प्रावधान का पालन न कर पाए, तो ऐसे में सूचीबद्ध एंटीटी को वह पद उस तारीख तक अवश्य भरना होगा जिस तारीख को वह खाली होगा:

परंतु यह और कि यदि खाली पद पर नियुक्ति किए बिना ही इस विनियम के उप-विनियम (1) में दिए हुए प्रावधान का पालन सूचीबद्ध एंटीटी के स्तर पर हो रहा हो, तो ऐसे में यह उप-विनियम लागू नहीं होगा।”

V. विनियम 26 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“प्रबंध-मंडल के कुछ मुख्य व्यक्तियों (की मैनेजमेंट पर्सोनल) की श्रेणी में खाली पद

26क. (1) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर), प्रबंध निदेशक (मैनेजिंग डायरेक्टर), पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक का यदि कोई पद खाली हो, तो वह पद सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा जल्द से जल्द भरा जाएगा, और जो खाली होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर ही भरना होगा:

परंतु यह कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी इस खाली पद पर किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए नियुक्त तब तक नहीं करेगी, जब तक कि इस प्रकार की जाने वाली नियुक्ति इस पद पर नई नियुक्ति किए जाने के मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार न की गई हो और उन कानूनी प्रावधानों में जिन दायित्वों का जिक्र है वे उस व्यक्ति के मामले में लागू न हों।

(2) मुख्य वित्तीय अधिकारी का यदि कोई पद खाली होगा, तो वह सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा जल्द से जल्द भरा जाएगा, और जो खाली होने की तारीख से तीन महीनों के भीतर ही भरना होगा:

परंतु यह कि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी इस खाली पद पर किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए नियुक्त तब तक नहीं करेगी, जब तक कि इस प्रकार की जाने वाली नियुक्ति इस पद पर नई नियुक्ति किए जाने के

मामले में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार न की गई हो और उन कानूनी प्रावधानों में जिन दायित्वों का जिक्र हो वे उस व्यक्ति के मामले में लागू न हों।”

VI. विनियम 27 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(खक) साइबर हमलों से संबंधित घटनाओं आदि अथवा डाटा या दस्तावेजों के नष्ट आदि होने की जानकारी उस रिपोर्ट के साथ दी जाएगी, जिसका जिक्र उप-विनियम (2) के खंड (क) में है।”

VII. विनियम 30 में-

i. उप-विनियम (4) में,

क) खंड (i) में, उप-खंड (ख) में, शब्दों “लोप का पता बाद में चले” के बाद शब्द “या” जोड़ा जाएगा;

ख) खंड (i) में, उप-खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्-

“(ग) यदि किसी ऐसी घटना या जानकारी को छिपाया जाता है, जिसका मूल्य या मूल्य के संदर्भ में जिसका प्रभाव निम्नलिखित में से जो भी कम हो उससे अधिक हो:

- (1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के पिछले लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, व्यापारावर्त (टर्नओवर) का दो प्रतिशत;
- (2) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के पिछले लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) का दो प्रतिशत (किंतु जिन मामलों में नेटवर्थ का मूल्य ऋणात्मक हो उन्हें छोड़कर);
- (3) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के पिछले तीन लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर की रकम घटाने के बाद लाभ या हानि के निरपेक्ष मूल्य (एबसॉल्यूट वैल्यू) के औसत का पाँच प्रतिशत;”

ग) खंड (i) में, उप-खंड (ग) के बाद निम्नलिखित उप-खंड और परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“(घ) उस मामले में जहाँ उप-खंड (क), (ख) एवं (ग) में निर्धारित किए गए मानदंड लागू न हों, वहाँ किसी घटना या जानकारी को तब महत्वपूर्ण माना जा सकेगा जब सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के निदेशक मंडल की राय में वह घटना या जानकारी महत्वपूर्ण हो:

परंतु यह कि यदि कोई घटना या जानकारी इन संशोधन विनियमों के अधिसूचित होने के बाद महत्वपूर्ण घटना या जानकारी की श्रेणी में आ जाए, तो ऐसे में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 के लागू होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उससे अवगत कराया जाएगा।”

घ) खंड (ii) के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्-

“परंतु यह कि कोई घटना या जानकारी महत्वपूर्ण है या नहीं यह तय करने हेतु निर्धारित की गई नीति की वजह से इन विनियमों में दिए हुए किसी भी प्रावधान पर कोई असर नहीं पड़ेगा:

परंतु यह और कि कोई घटना या जानकारी महत्वपूर्ण है या नहीं यह तय करने हेतु निर्धारित की गई नीति ऐसी हो कि उसके मुताबिक सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी के संबंधित कर्मचारी यह देख पाएँ कि कौन-कौन सी कोई घटना या जानकारी महत्वपूर्ण हो सकती है, और उप-विनियम (5) के अनुसार प्राधिकृत किए गए प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों को इससे अवगत कराएँ, ताकि प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति यह तय कर पाएँ कि संबंधित घटना या जानकारी महत्वपूर्ण है या नहीं और फिर स्टॉक एक्सचेंजों को जरूरी जानकारी दे पाएँ।”

- ii. उप-विनियम (6) और उसके परंतुकों के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम और परंतुक आ जाएंगे, अर्थात्,-

“(6) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) को प्रत्येक घटना या जानकारी (जो भी विनियम के प्रावधानों के अनुसार महत्वपूर्ण हो) से यथासंभव जल्द से जल्द, किंतु किसी भी दशा में:

- (i) निदेशक मंडल की बैठक (जिसमें किसी घटना या जानकारी के संबंध में निर्णय लिया गया हो) समाप्त होने से 30 मिनट के भीतर अवगत कराएगी;
- (ii) उस मामले में ऐसी घटना के घटित होने या ऐसी जानकारी मिलने से बारह घंटों के भीतर अवगत कराएगी, जहाँ उस घटना या जानकारी का स्रोत सूचीबद्ध एंटीटी के भीतर ही हो;
- (iii) उस मामले में ऐसी घटना के घटित होने या ऐसी जानकारी मिलने से चौबीस घंटों के भीतर अवगत कराएगी, जहाँ उस घटना या जानकारी का स्रोत सूचीबद्ध एंटीटी के भीतर न हो:

परंतु यह कि अनुसूची-III के भाग-क में जिन घटनाओं के संबंध में समय-सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उनकी जानकारी उन्हीं समय-सीमाओं के भीतर दी जाएगी:

परंतु यह और कि यदि उपरोक्त जानकारी इस विनियम में निर्धारित की गई समय-सीमाओं के बीतने के बाद दी जाती है, तो ऐसे में सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी ऐसी जानकारी देते समय यह स्पष्टीकरण भी देगी कि जानकारी देने में देरी क्यों हुई।”

- iii. उप-विनियम (11) में,

क) शब्दों “उससे इनकार कर सकेगी” के बाद दिए हुए चिह्न “।” के स्थान पर चिह्न “:” आ जाएगा;

ख) उप-विनियम (11) के बाद, निम्नलिखित परंतुक और स्पष्टीकरण जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

“परंतु यह कि यदि मुख्य धारा की (मेनस्ट्रीम) मीडिया में किसी घटना या जानकारी की कोई रिपोर्ट आई हो (जो सामान्य स्वरूप की न हो और जिससे ऐसा लग रहा हो कि आम निवेशकों में ये अफवाहें फैली हुई हैं कि इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार कोई महत्वपूर्ण घटना घटी है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिली है), तो ऐसे में शीर्ष 100 सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियाँ (1 अक्टूबर, 2023 से) और उसके बाद शीर्ष 250 सूचीबद्ध एंटीटियाँ (1 अप्रैल, 2024 से), यथासंभव जल्द से जल्द किंतु ऐसी घटना या जानकारी की रिपोर्ट किए जाने से चौबीस घंटों के भीतर, या तो उसकी पुष्टि करेंगी या उससे इनकार करेंगी और या फिर उसके बारे में स्पष्टीकरण देंगी:

परंतु यह और कि यदि सूचीबद्ध एंटीटी इस प्रकार घटना या जानकारी की पुष्टि करती है, तो ऐसे में उसे यह भी बताना होगा कि उस घटना या जानकारी की मौजूदा स्थिति क्या है।

स्पष्टीकरण – शीर्ष 100 और 250 सूचीबद्ध एंटीटियों का निर्धारण बाजार पूँजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) [ठीक पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार] के आधार पर किया जाएगा।”

- iv. उप-विनियम (12) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्-

“(13) यदि किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अथॉरिटी) या सांविधिक प्राधिकरण, प्रवर्तन (इन्फोर्समेंट) प्राधिकरण या न्यायिक प्राधिकरण की ओर से सूचना मिलने के बाद, सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी घटना या जानकारी से अवगत कराना जरूरी हो, तो ऐसे में सूचीबद्ध एंटीटी इस प्रकार मिली सूचना के साथ-साथ घटना या जानकारी से भी अवगत कराएगी, बशर्ते कि ऐसे प्राधिकरण ने इस प्रकार दी गई सूचना से अवगत कराने से मना न किया हो।”

VIII. विनियम 30 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“कुछ ऐसे करारों आदि की जानकारी देने की आवश्यकता जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटियों को बाध्य करते हों:

30क. (1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के या उसकी नियंत्री / धारिता कंपनी (होलिंग कंपनी), सहायक (सब्सिडियरी) कंपनी और सहयोगी (असोसिएट) कंपनी के सभी शेयरधारक, संपवर्तक (प्रोमोटर), संपवर्तक समूह (प्रोमोटर ग्रुप) की एंटिटियाँ, संबंधित पक्ष (रिलेटिड पार्टी), निदेशक, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति और कर्मचारी [जो उन करारों में पक्षकार (पार्टी) हों, जिनका जिक्र इन विनियमों की अनुसूची-III के भाग-क के पैरा-क के खंड-5क में किया गया है], सूचीबद्ध एंटिटी को उस करार (एग्रीमेंट) की जानकारी, ऐसे करार करने की तारीख या ऐसे करार करने के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से दो कार्य-दिवसों के भीतर, देंगे जिस करार में ऐसी सूचीबद्ध एंटिटी एक पक्षकार (पार्टी) न हो:

परंतु यह कि जो करार अनुसूची-III के भाग-क के पैरा-क के खंड-5क के अधिसूचित होने की तारीख को मान्य रहें, उन करारों के पक्षकार सूचीबद्ध एंटिटी को उस करार की जानकारी देंगे जिस करार में ऐसी सूचीबद्ध एंटिटी एक पक्षकार न हो, और फिर सूचीबद्ध एंटिटी उन समस्त मान्य करारों की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को और अपने वेबसाइट पर, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई समय-सीमाओं के भीतर, देगी।

(2) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी वित्तीय वर्ष 2022-23 की या वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट में उन सभी करारों की संख्या बताएगी और उनकी मुख्य-मुख्य बातें बताएगी (साथ ही उस वेबपेज का लिंक भी देगी जहाँ ऐसे करारों के पूरे व्यौरे दिए हुए हों), जो करार अनुसूची-III के भाग-क के पैरा-क के खंड-5क के अधिसूचित होने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार मान्य रहें।”

IX. विनियम 31क के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“शेयरधारकों के लिए विशेष अधिकार:

31ख. (1) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के शेयरधारकों को यदि कोई विशेष अधिकार प्रदान किया गया हो, तो उसके संबंध में, ऐसा विशेष अधिकार प्रदान किए जाने की तारीख से प्रत्येक पाँच वर्षों में एक बार, आम बैठक में एक विशेष संकल्प (रेज़ोल्यूशन) पारित करवाकर शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी:

परंतु यह कि इस विनियम के लागू होने की तारीख तक की स्थिति के अनुसार, सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी के शेयरधारकों को जो भी विशेष अधिकार प्रदान किए गए हों, उनके संबंध में इस विनियम के लागू होने की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि के भीतर, विशेष संकल्प पारित करवाकर शेयरधारकों की मंजूरी ली जाएगी:

परंतु यह और कि इस विनियम में दिया हुआ प्रावधान उन विशेष अधिकारों के मामले में लागू नहीं होगा, जो सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के यहाँ रजिस्टर हुई या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित (रेग्युलेटिड) किसी वित्तीय संस्था को, सामान्य कामकाज के दौरान किए गए किसी ऋण संबंधी करार आदि के तहत, दिए गए हों या फिर बोर्ड से रजिस्टर हुए डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) को, सूचीबद्ध एंटिटी द्वारा जारी किए गए डिबेंचरों में पैसा लगाए जाने के संबंध में किए गए करार के तहत, दिए गए हों, और यदि ऐसे ऋण संबंधी करार आदि की वजह से ऐसी वित्तीय संस्था या डिबेंचर में पैसा लगाए जाने के संबंध में किए गए करार की वजह से ऐसा डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) सूचीबद्ध एंटिटी का शेयरधारक बन जाए।”

X. विनियम 33 में, उप-विनियम (3) में, खंड (झ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“(ज) सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी, उस अवधि के ठीक बाद वाली तिमाही या बाद वाले वित्तीय वर्ष के अपने वित्तीय परिणाम, इस उप-विनियम के, यथास्थिति, खंड (क) या खंड (घ) में दी हुई समय-सीमा के अनुसार या उसके सूचीबद्ध (लिस्ट) होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर (जो भी बाद की तारीख हो) प्रस्तुत करेगी, जिस अवधि के वित्तीय विवरण आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (इनिशियल पब्लिक ऑफर) के प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में जाहिर कर दिए गए हों।”

XI. विनियम 34 में, उप-विनियम (2) में, खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्,-

"(च) बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैपिटलाइजेशन) के आधार पर निर्धारित शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटियों के लिए, बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए फॉर्मेट में बिजनेस रिस्पॉन्सिविलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट (ईएसजी संबंधी) दी जाए:

परंतु यह कि बिजनेस रिस्पॉन्सिविलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर के संबंध में पुष्टि उस तारीख से और उसी प्रकार करवाई जाएगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए:

परंतु यह और कि सूचीबद्ध एंटीटियाँ अपने वैल्यू चेन के संदर्भ में बिजनेस रिस्पॉन्सिविलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर के संबंध में पुष्टि उस तारीख से और उसी प्रकार करवाएंगी, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए:

परंतु यह और कि शेष सूचीबद्ध एंटीटियाँ [उन एंटीटियों सहित जिन्होंने अपनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) को एसएमई एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्ट) कराया हुआ हो], यथास्थिति, अपने लिए या फिर अपने वैल्यू चेन के संदर्भ में स्वैच्छिक रूप से बिजनेस रिस्पॉन्सिविलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को जाहिर कर सकेंगी या स्वैच्छिक रूप से बिजनेस रिस्पॉन्सिविलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर के संबंध में पुष्टि करवा सकेंगी।

स्पष्टीकरण-1: इस खंड के प्रयोजनार्थ:

- (i) बाजार पूंजीकरण की गणना प्रत्येक वित्तीय वर्ष के मार्च महीने के 31वें दिन तक की स्थिति के अनुसार की जाएगी;
- (ii) बिजनेस रिस्पॉन्सिविलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट कोर में प्रदर्शन के ऐसे मुख्य सूचक शामिल होंगे, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताए जाएँ;
- (iii) सूचीबद्ध एंटीटियों के संबंध में "वैल्यू चेन" में वही शामिल होंगे, जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए।

XII. विनियम 37 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"37क. किसी उपक्रम की बिक्री आदि करना या उसे पट्टे (लीज़) पर देना [जो इंतजाम की स्कीम (स्कीम ऑफ अरेंजमेंट) के दायरे में न आए]

- (1) जो सूचीबद्ध एंटीटी, अपने उपक्रम की पूरी तरह से या उसके अधिकांश हिस्से की बिक्री आदि कर रही हो या उसे पट्टे पर दे रही हो अथवा जहाँ उसके एक से अधिक उपक्रम हों और वह ऐसे किसी उपक्रम की पूरी तरह से या उसके अधिकांश हिस्से की बिक्री आदि कर रही हो या उसे पट्टे पर दे रही हो, वह -

- (क) विशेष संकल्प (स्पेशल रेज़ोल्यूशन) पारित करवाकर शेयरधारकों की पूर्व मंजूरी लेगी;
- (ख) शेयरधारकों को भेजी जाने वाली सूचना (नोटिस) के साथ लगाए जाने वाले विवरण में यह बताएगी कि उसके उपक्रम की पूरी तरह से या उसके अधिकांश हिस्से की बिक्री आदि करने या उसे पट्टे पर देने का उद्देश्य क्या है और ऐसा करने के पीछे क्या तर्क (कारोबार में हो सकने वाले नफा-नुकसान को ध्यान में रखकर) है, और फिर ऐसा करने पर जो पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा:

परंतु यह कि ऐसे विशेष संकल्प के अनुसार कार्रवाई तभी की जाएगी जब सार्वजनिक शेयरधारकों (पब्लिक शेयरहोल्डर्स) द्वारा संकल्प (रेज़ोल्यूशन) के पक्ष में डाले गए मत उनके द्वारा संकल्प के खिलाफ डाले गए मतों से अधिक हों:

परंतु यह और कि जो भी सार्वजनिक शेयरधारक सूचीबद्ध एंटीटी के उपक्रम की पूरी तरह से या उसके अधिकांश हिस्से की बिक्री आदि किए जाने या उसे पट्टे पर दिए जाने की प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हो, वह उस संकल्प के प्रति अपना मत नहीं डालेगा।

स्पष्टीकरण. - इस विनियम के प्रयोजनार्थ, शब्दों "उपक्रम" और "उपक्रम के अधिकांश हिस्से" ("सारतः पूर्ण उपक्रम") का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 की उप-धारा (1) के खंड (क) में इनके लिए दिया हुआ है।

- (2) उप-विनियम (1) में दिया हुआ प्रावधान उस मामले में लागू नहीं होगा, जहाँ किसी सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा अपनी उस पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी (समनुषंगी/सब्सिडियरी) को ही अपने उपक्रम की पूरी तरह से या उसके अधिकांश हिस्से की बिक्री आदि की जा रही हो अथवा उसे पट्टे (लीज़) पर दिया जा रहा हो, जिसके खाते उस सूचीबद्ध एंटीटी के साथ समेकित किए जाते हों:

परंतु यह कि यदि ऐसी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी सूचीबद्ध एंटीटी से मिले उपक्रम की पूरी तरह से या उसके अधिकांश हिस्से की बिक्री आदि किसी दूसरी एंटीटी को कर रही हो या उसे किसी दूसरी एंटीटी को पट्टे पर दे रही हो, तो ऐसा करने से पहले ऐसी सूचीबद्ध एंटीटी को उप-विनियम (1) में दिए हुए प्रावधानों का पालन करना होगा:

परंतु यह और कि सूचीबद्ध एंटीटी अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी [जिसे ऐसी सूचीबद्ध एंटीटी का उपक्रम पूरी तरह से या उसका अधिकांश हिस्सा अंतरित (ट्रांसफर) किया गया हो] में अपनी शेयरधारिता को सौ प्रतिशत से कम करने से पहले उप-विनियम (1) में दिए हुए प्रावधानों का पालन करेगी।

स्पष्टीकरण: इस विनियम के प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होंगे, जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित (रेग्युलेटिड) या भारतीय रिज़र्व के यहाँ रजिस्टर किसी वित्तीय संस्था के साथ अथवा बोर्ड के यहाँ रजिस्टर डिबेंचर न्यासी (ट्रस्टी) के साथ किए गए करार (एग्रीमेंट) में दी हुई शर्तों आदि के तहत सूचीबद्ध एंटीटी के उपक्रम की पूरी तरह से या उसके अधिकांश हिस्से की बिक्री आदि की जा रही हो या उसे पट्टे पर दिया जा रहा हो।"

- XIII. विनियम 46 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ण) में, शब्दों तथा चिह्नों "बैठक की समय-सारणी (कार्यक्रम-सूची)" के बाद और शब्दों "और सूचीबद्ध" से पहले, चिह्न तथा शब्द "[कम से कम दो कार्य-दिवस पहले (जिसमें सूचित किए जाने की तारीख और बैठक की तारीख शामिल नहीं है)]" जोड़े जाएंगे।

- XIV. विनियम 57 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"स्टॉक एक्सचेंजों के पास प्रस्तुत की जाने वाली सूचना

57. सूचीबद्ध एंटीटी असंपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (नॉन-कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़) के ब्याज या लाभांश का भुगतान किए जाने अथवा मूलधन की रकम लौटाए जाने की स्थिति के संबंध में स्टॉक एक्सचेंज के पास (इनके देय होने की तारीख से एक कार्य-दिवस के भीतर) एक प्रमाणपत्र, उसी प्रकार और उसी फॉर्मेट में प्रस्तुत करेगी जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया और निर्धारित किया जाए।"

- XV. अनुसूची-III में, भाग-क में-

i. पैरा क में,

क) उप-पैरा 1 के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा आ जाएगा, अर्थात्-

"अर्जन (जिसमें अर्जन किए जाने का करार भी शामिल है) की जानकारी, इंतजाम की स्कीम [जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी में मिलकर कोई नई कंपनी बन जाए (सामामेलन/अमैलगमेशन), विलय (मर्जर), आविलयन (डीमर्जर) या पुनर्संरचना (रीस्ट्रक्चरिंग)] की जानकारी, सूचीबद्ध एंटीटी के उपक्रम (उपक्रमों) या उसकी सहायक कंपनी (साब्सिडियरी) की किसी यूनिट (किन्हीं यूनिटों), उसके किसी हिस्से (किन्हीं हिस्सों) [डिविज़न] की पूरी तरह से या उसके अधिकांश हिस्से की बिक्री आदि की जानकारी, सूचीबद्ध एंटीटी की सहयोगी कंपनी में मौजूद हिस्सेदारी की बिक्री की जानकारी या किसी अन्य पुनर्संरचना (रीस्ट्रक्चरिंग) की जानकारी।

स्पष्टीकरण (1) - इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, शब्द 'अर्जन' का अर्थ होगा-

(i) नियंत्रण हासिल करना, फिर चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से किया जाए या अप्रत्यक्ष रूप से; या

- (ii) किसी कंपनी (फिर चाहे वह मौजूदा कंपनी हो या फिर उसका गठन किया जाना हो) के शेयर या मताधिकार इस प्रकार हासिल करना या हासिल करने के लिए करार करना, फिर चाहे ऐसा प्रत्यक्ष रूप से किया जाए या अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे कि -
- (क) सूचीबद्ध एंटीटी के पास उपरोक्त कंपनी के कुल पांच प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर या मताधिकार आ जाएँ; या
- (ख) इस उप-पैरा के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के उप-खंड (क) के तहत अंतिम बार जानकारी प्रस्तुत किए जाने के बाद धारिता (होल्डिंग) में बदलाव हो जाए और यह बदलाव उपरोक्त कंपनी में सूचीबद्ध एंटीटी की कुल शेयरधारिता या मताधिकारों के दो प्रतिशत से अधिक हो; या
- (ग) अर्जन कुल जितनी रकम में किया जाए या जिस कीमत पर शेयरों का अर्जन किया जाए, वह विनियम 30 के उप-विनियम (4) के खंड (i) के उप-खंड (ग) में निर्धारित की गई सीमा-रेखा पार कर जाए।

स्पष्टीकरण (2) - इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, "सहायक कंपनी की बिक्री आदि" और "सहयोगी कंपनी में मौजूद हिस्सेदारी की बिक्री" में शामिल होगी-

- (i) कंपनी के शेयरों या मताधिकारों की बिक्री इस प्रकार करने के लिए करार करना या इस प्रकार बिक्री करना, जिससे कि कंपनी, सूचीबद्ध एंटीटी की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एक सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी न रह जाए; या
- (ii) सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी के शेयरों या मताधिकारों की बिक्री इस प्रकार करने के लिए करार करना या इस प्रकार बिक्री करना, जिससे कि जब बिक्री की रकम विनियम 30 के उप-विनियम (4) के खंड (i) के उप-खंड (ग) में निर्धारित सीमा-रेखा पार कर जाए।

स्पष्टीकरण (3) - इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ, "उपक्रम" और "उपक्रम के अधिकांश हिस्से" ("सारतः पूर्ण उपक्रम") का वही अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 180 के तहत इनके लिए दिया है।

ख) उप-पैरा (3) में, शब्दों तथा चिह्नों "रेटिंग (रेटिंगों) में संशोधन" से पहले, शब्द तथा चिह्न "नई रेटिंग या" जोड़े जाएंगे;

ग) उप-पैरा (5) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात् -

"(5क) सूचीबद्ध एंटीटी या उसकी नियंत्री (होल्डिंग) कंपनी, सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी के शेयरधारकों, संप्रवर्तकों (प्रमोटर्स), संप्रवर्तक समूह की एंटीटियों, संबंधित पक्षकारों, निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, कर्मचारियों द्वारा आपस में या सूचीबद्ध एंटीटी के साथ या किसी अन्य पक्ष के साथ, अलग-अलग या मिलकर किए गए उन करारों की जानकारी स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाएगी, जिससे, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध एंटीटी के प्रबंधन या नियंत्रण पर असर पड़ता हो या पड़ सकता हो या पर असर डालना ही जिसका उद्देश्य हो, सूचीबद्ध एंटीटी पर कोई पाबंदी लग जाए या लगने की संभावना हो या पाबंदी लगाना जिसका उद्देश्य हो, अथवा सूचीबद्ध एंटीटी पर कोई देनदारी आ जाए या आने की संभावना हो या देनदारी डालना ही जिसका उद्देश्य हो (जिसमें शामिल है - ऐसे करारों को समाप्त किए जाने, उनमें बदलाव आदि किए जाने या फेरबदल किए जाने की जानकारी, फिर चाहे सूचीबद्ध एंटीटी ऐसे करारों में कोई पक्षकार हो या न हो):

परंतु यह कि सामान्य कामकाज के दौरान सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा किए गए ऐसे करारों की जानकारी देनी तब तक जरूरी नहीं होगी, जब तक कि ऐसे करारों से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से सूचीबद्ध एंटीटी के प्रबंधन या नियंत्रण पर असर न पड़ता हो या पड़ने की संभावना न हो या असर डालना जिसका उद्देश्य न हो अथवा ऐसी जानकारी इन विनियमों के किन्हीं दूसरे प्रावधानों के अनुसार देनी जरूरी हो।

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्दों "प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से" में शामिल है - ऐसे करार जिनसे ऐसे करारों के पक्षकारों पर यह सुनिश्चित करने की बाध्यता आ जाए कि सूचीबद्ध एंटीटी किसी विशेष तरीके से कार्य करे या कार्य न करे।"

घ) उप-पैरा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा आ जाएगा, अर्थात्-

"(6) सूचीबद्ध एंटीटी, उसके संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल या सहायक कंपनी द्वारा की गई धोखाधड़ी या की गई चूक की जानकारी अथवा सूचीबद्ध एंटीटी के प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल में से किसी व्यक्ति, संप्रवर्तक या निदेशक की गिरफ्तारी की जानकारी, फिर चाहे ऐसा भारत में हुआ हो या भारत के बाहर हुआ हो:

इस उप-पैरा के प्रयोजनार्थ:

- (i) 'धोखाधड़ी' (कपट) में वह धोखाधड़ी शामिल है, जिसका उल्लेख भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति बाजार से संबंधित कपटपूर्ण और अशुद्ध व्यापारिक व्यवहारों का प्रतिषेध) विनियम, 2003 [सेबी (प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड्यूलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज़ रिलेटिंग टू द सिक्यूरिटीज़ मार्केट) रेग्यूलेशन, 2003] के विनियम 2(1)(ग) में किया गया है।
- (ii) 'चूक' का अर्थ होगा - जिस तारीख को ऋण की रकम देय हो जाए उस तारीख तक की स्थिति के अनुसार ब्याज या मूलधन की पूरी रकम अदा न करना।

स्पष्टीकरण-1 - नकद ऋण जैसी परिक्रामी सुविधाओं के मामले में, किसी एंटीटी के बारे में तब यह माना जाएगा कि उसने 'चूक' किया है जब बकाया रकम, मंजूर की गई अधिकतम सीमा या पैसा निकाल सकने की अधिकतम सीमा, जो भी कम हो, से तीस से ज्यादा दिनों तक लगातार अधिक बनी रहे।

स्पष्टीकरण-2 - संप्रवर्तक, निदेशक, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल, सहायक कंपनी द्वारा चूक (डिफॉल्ट) किए जाने का अर्थ होगा - वह चूक जिसका असर सूचीबद्ध एंटीटी पर पड़ता हो या पड़ सकता हो।"

ङ) उप-पैरा (7) में, शब्दों तथा चिह्नों "कंपनी सचिव, आदि" के बाद शब्द तथा चिह्न "वरिष्ठ प्रबंध-मंडल," जोड़े जाएंगे;

च) उप-पैरा (7ख) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा जोड़े जाएंगे, अर्थात्-

"(7ग) प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल में से किसी व्यक्ति, अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) या स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर किसी अन्य निदेशक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने पर, त्यागपत्र के साथ-साथ प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल में से किसी व्यक्ति, अनुपालन अधिकारी (कम्प्लायन्स ऑफिसर) या निदेशक द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के संबंध में जो कारण बताए गए हों उनके ब्यौरे सूचीबद्ध एंटीटियों द्वारा, स्टॉक एक्सचेंजों के पास, ऐसे त्यागपत्रों के लागू होने की तारीख से सात दिनों के भीतर, दिए जाएंगे।

(7घ) यदि सूचीबद्ध एंटीटी का प्रबंध निदेशक या मुख्य कार्यपालक अधिकारी नब्बे दिनों की लगातार अवधि में से पैंतालीस दिनों से अधिक तक नियमित रूप से अपनी भूमिका निभाने हेतु उपलब्ध न रहे या भूमिका निभाने में असमर्थ हो, तो स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) के पास उसकी जानकारी दी जाएगी, और साथ ही उनके उलब्ध न रहने या असमर्थ रहने के कारण भी बताया जाएंगे।"

छ) उप-पैरा (11) में, शब्द "बीआईएफआर को मामला भेजना और" हट जाएंगे;

ज) उप-पैरा (15) में, मद (क) में, शब्दों तथा चिह्नों "की बैठक की समय-सारणी (कार्यक्रम-सूची)" के बाद और शब्दों "और सूचीबद्ध" से पहले, चिह्न तथा शब्द "[कम से कम दो कार्य-दिवस पहले (जिसमें सूचित किए जाने की तारीख और बैठक की तारीख शामिल नहीं है)]" जोड़े जाएंगे;

झ) उप-पैरा (17) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा जोड़े जाएंगे, अर्थात्-

"(18) सूचीबद्ध एंटीटी के निदेशकों, संप्रवर्तकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों या वरिष्ठ प्रबंध-मंडल द्वारा सोशल मीडिया के मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) या मुख्यधारा की मीडिया के माध्यम से की गई ऐसी घोषणा या दी गई ऐसी सूचना, जो ऐसी किसी घटना या जानकारी से संबंधित हो जो इन विनियमों के विनियम 30 के अनुसार सूचीबद्ध एंटीटी के लिए महत्वपूर्ण हो और सूचीबद्ध एंटीटी द्वारा जिससे आम जनता को पहले अवगत न कराया गया हो।

स्पष्टीकरण - "सोशल मीडिया के मध्यवर्तियों" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 में दी हुई परिभाषा में दिया गया है।

(19) सूचीबद्ध एंटीटी के संबंध में, सूचीबद्ध एंटीटी या उसके निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्तियों, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल, संप्रवर्तकों या उसकी सहायक कंपनी (समनुषंगी/सब्सिडियरी) के खिलाफ किसी विनियामक प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा शुरू की गई ऐसी कार्रवाई (कार्रवाईयों) या पारित किए गए ऐसे आदेशों की जानकारी, जिसमें (जिनमें):

- (क) तलाशी या अभिग्रहण की बात कही गई, या
- (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 130 के तहत खाते फिर से खुलवाए गए गया हों, या
- (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-XIV के प्रावधानों के तहत तहकीकात (अन्वेषण) की बात कही गई हो;

उपरोक्त जानकारी के साथ-साथ शुरू की गई, की जा चुकी कार्रवाई (कार्रवाईयों) या पारित किए गए आदेशों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी भी दी जाए:

- i. प्राधिकरण का नाम;
- ii. किस प्रकार की कार्रवाई (कार्रवाईयों) की गई (गई), शुरू की गई (गई) या किस प्रकार का आदेश पारित किया गया (के आदेश पारित किए गए) तथा उसके (उनके) व्यौरे;
- iii. प्राधिकरण से कोई निदेश या आदेश (जिसमें अंतरिम आदेश आदि भी शामिल हैं), या कोई अन्य सूचना प्राप्त होने की तारीख;
- iv. किए गए या कथित तौर पर किए गए उल्लंघन (उल्लंघनों) आदि के व्यौरे;
- v. सूचीबद्ध एंटीटी की वित्तीय, कामकाज से संबंधित या अन्य गतिविधियों पर पड़ने वाले असर (जहाँ तक संभव हो इसका आकलन रुपये में किया जाए)।

(20) सूचीबद्ध एंटीटी के संबंध में, सूचीबद्ध एंटीटी या उसके निदेशकों, प्रबंध-मंडल के मुख्य व्यक्ति, वरिष्ठ प्रबंध-मंडल, संप्रवर्तकों या सहायक कंपनी के खिलाफ किसी विनियामक प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक निकाय द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई (कार्रवाईयों) या पारित किए गए ऐसे आदेश की जानकारी, जिसमें (जिनमें):

- क) निलंबन किया गया हो;
- ख) जुर्माना लगाया गया हो या शास्ति (पेनल्टी) लगाई गई हो;
- ग) कार्यवाहियों का निपटारा (सेटलमेंट) किया गया हो;
- घ) विवर्जन (डिबारमेंट) किया गया हो;

ड) अयोग्य ठहराया गया हो;

च) कामकाज बंद करने की बात कही गई हो;

छ) प्रतिबंध लगाए गए हों;

ज) चेतावनी आदि जारी की गई हो; या

झ) इसी तरह की कोई अन्य कार्रवाई (कार्रवाईयाँ) की गई हों, फिर चाहे उसे (उन्हें) किसी भी नाम से पुकारा जाए;

उपरोक्त जानकारी के साथ-साथ शुरू की गई, की जा चुकी कार्रवाई (कार्रवाईयों) या पारित किए गए आदेशों से संबंधित निम्नलिखित जानकारी भी दी जाए:

i. प्राधिकरण का नाम;

ii. किस प्रकार की कार्रवाई (कार्रवाईयाँ) की गई (गई), शुरू की गई (गई) या किस प्रकार का आदेश पारित किया गया (के आदेश पारित किए गए) तथा उसके (उनके) ब्यौरे;

iii. प्राधिकरण से कोई निदेश या आदेश (जिसमें अंतरिम आदेश आदि भी शामिल हैं), या कोई अन्य सूचना प्राप्त होने की तारीख;

iv. किए गए या कथित तौर पर किए गए उल्लंघन (उल्लंघनों) आदि के ब्यौरे;

v. सूचीबद्ध एंटीटी की वित्तीय, कामकाज से संबंधित या अन्य गतिविधियों पर पड़ने वाले असर (जहाँ तक संभव हो इसका आकलन रुपये में किया जाए)।

(21) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 131 के तहत सूचीबद्ध एंटीटी के वित्तीय विवरणों या निदेशक मंडल की रिपोर्ट में स्वैच्छिक रूप से किए गए बदलाव की जानकारी।"

ii. पैरा ख में,

क) उप-पैरा 2 के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा आ जाएगा, अर्थात्,-

"2. निम्नलिखित घटनाओं में से ऐसी किसी भी घटना की जानकारी जो सूचीबद्ध एंटीटी से संबंधित हो:

(क) नीतिगत, तकनीकी, विनिर्माण (मेन्युफैक्चरिंग) के संबंध में इंतजाम किए जाने या विपणन के संबंध में गठजोड़ (मार्केटिंग टाई-अप) किए जाने की जानकारी; या

(ख) कारबार की नई पद्धति (पद्धतियाँ) अपनाए जाने की जानकारी; या

(ग) किसी यूनिट, हिस्से या सहायक कंपनी के कामकाज को बंद करने (फिर चाहे उसे पूरी तरह से बंद किया गया हो या थोड़ा-थोड़ा करके बंद किया जा रहा हो) की जानकारी।

ख) उप-पैरा 5 में, चिह्न तथा शब्द "(उधार लेने वाले के रूप में)" हट जाएंगे;

ग) उप-पैरा 8 के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा आ जाएगा, अर्थात्,-

"8. चल रहे मुकदमे (मुकदमों) या विवाद (विवादों) या उनके निष्कर्ष की जानकारी जिसका असर सूचीबद्ध एंटीटी पर पड़ सकता हो।"

घ) उप-पैरा 9 के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा आ जाएगा, अर्थात्,-

"9. सूचीबद्ध एंटीटी के कर्मचारियों द्वारा की गई धोखाधड़ियों (किए गए कपट) या की गए चूकों की जानकारी जिसका असर सूचीबद्ध एंटीटी पर पड़ रहा हो या पड़ सकता हो।"

ड) उप-पैरा 11 में, शब्दों तथा चिह्नों “प्रतिभू (जमानतदार)” के बाद चिह्न तथा शब्द “[फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए]” आ जाएंगे;

च) उप-पैरा 12 के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“13. किसी विनियामक प्राधिकरण, सांविधिक प्राधिकरण, प्रवर्तन प्राधिकरण या न्यायिक प्राधिकरण को जुमाने की रकम, शास्तियों (पेनल्टी) की रकम, कोई देय रकम आदि अदा दिए जाने में देरी किए जाने या चूक किए जाने की जानकारी।”

XVI. अनुसूची-V में,

i. पैरा (ग) में, उप-पैरा (5क) के बाद, निम्नलिखित उप-पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“5ख. वरिष्ठ प्रबंध-मंडल:

वरिष्ठ प्रबंध-मंडल के ब्यौरे (जिसमें पिछले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद उनमें हुए बदलाव भी शामिल हैं)।”

ii. पैरा (च) के बाद, निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

“छ. कुछ ऐसे करारों आदि की जानकारी देने की आवश्यकता जो सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटितियों को बाध्य करते हों

(1) इन विनियमों की अनुसूची-III के भाग-क के पैरा क के खंड 5क के तहत दी गई जानकारी।”

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./192/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013, 2 सितम्बर 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 तत्पश्चात्:
 - क) 22 दिसम्बर, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2015, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/027, द्वारा
 - ख) 25 मई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/001, द्वारा
 - ग) 8 जुलाई, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/008, द्वारा
 - घ) 4 जनवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/025, द्वारा
 - ड) 15 फरवरी, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/29, द्वारा
 - च) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037 [तारीख 29 मार्च, 2017 को अधिसूचित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/038 के साथ पठित], द्वारा

- [illegible]

- कक) 7 सितम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/47, द्वारा
- खख) 9 नवम्बर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/55, द्वारा
- गग) 24 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/66, द्वारा
- घघ) 22 मार्च, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/76, द्वारा
- डड) 11 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/79, द्वारा
- चच) 25 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/80, द्वारा
- छछ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/88, द्वारा
- जज) 14 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (छठा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/103, द्वारा
- झझ) 5 दिसम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/109, द्वारा
- ञञ) 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/117, द्वारा
- टट) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 14th June, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/131.—In exercise of the powers conferred by section 11, sub-section (2) of section 11A and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the thirtieth day from the date of their publication in the Official Gazette:

Provided that the amendment in regulation 3, sub-regulations III, XI, XII and XIV of these amendment regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette:

Provided further that the amendment in regulation 3, sub-regulation XII of these amendment regulations shall not be applicable to such sale, lease or disposal of undertakings of a listed entity where the notice has already been dispatched to the shareholders of the listed entity:

Provided further that the amendment in regulation 3, sub-regulation X of these amendment regulations shall be applicable to the issuers whose public issues open on or after these regulations come into effect.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 –

I. in regulation 2, in sub-regulation (1), after clause (r) and before clause (s), following clause shall be inserted, namely,-

“(ra) “mainstream media” shall include print or electronic mode of the following:

- i. Newspapers registered with the Registrar of Newspapers for India;
- ii. News channels permitted by Ministry of Information and Broadcasting under Government of India;
- iii. Content published by the publisher of news and current affairs content as defined under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021; and
- iv. Newspapers or news channels or news and current affairs content similarly registered or permitted or regulated, as the case may be, in jurisdictions outside India;”

II. in regulation 6, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely,-

“(1A) Any vacancy in the office of the Compliance Officer shall be filled by the listed entity at the earliest and in any case not later than three months from the date of such vacancy:

Provided that the listed entity shall not fill such vacancy by appointing a person in interim capacity, unless such appointment is made in accordance with the laws applicable in case of a fresh appointment to such office and the obligations under such laws are made applicable to such person.”

III. in regulation 15, in sub-regulation (1A),

- i. in second proviso, the words and symbols “March 31, 2023” shall be substituted by “March 31, 2024”;
- ii. in Explanation (3), the words and symbols “March 31, 2023” shall be substituted by “March 31, 2024”.

IV. in regulation 17, after sub regulation (1C), the following sub-regulations shall be inserted, namely,-

“(1D) With effect from April 1, 2024, the continuation of a director serving on the board of directors of a listed entity shall be subject to the approval by the shareholders in a general meeting at least once in every five years from the date of their appointment or reappointment, as the case may be:

Provided that the continuation of the director serving on the board of directors of a listed entity as on March 31, 2024, without the approval of the shareholders for the last five years or more shall be subject to the approval of shareholders in the first general meeting to be held after March 31, 2024:

Provided further that the requirement specified in this regulation shall not be applicable to the Whole-Time Director, Managing Director, Manager, Independent Director or a Director retiring as per the sub-section (6) of section 152 of the Companies Act, 2013, if the approval of the shareholders for the reappointment or continuation of the aforesaid directors or Manager is otherwise provided for by the provisions of these regulations or the Companies Act, 2013 and has been complied with:

Provided further that the requirement specified in this regulation shall not be applicable to the director appointed pursuant to the order of a Court or a Tribunal or to a nominee director of the Government on the board of a listed entity, other than a public sector company, or to a nominee director of a financial sector regulator on the board of a listed entity:

Provided further that the requirement specified in this regulation shall not be applicable to a director nominated by a financial institution registered with or regulated by the Reserve Bank of India under a lending arrangement in its normal course of business or nominated by a Debenture Trustee registered with the Board under a subscription agreement for the debentures issued by the listed entity.

(1E) Any vacancy in the office of a director shall be filled by the listed entity at the earliest and in any case not later than three months from the date such vacancy:

Provided that if the listed entity becomes non-compliant with the requirement under sub-regulation (1) of this regulation, due to expiration of the term of office of any director, the resulting vacancy shall be filled by the listed entity not later than the date such office is vacated:

Provided further that this sub-regulation shall not apply if the listed entity fulfils the requirement under sub-regulation (1) of this regulation without filling the vacancy.”

V. after regulation 26, the following regulation shall be inserted, namely,-

“Vacancies in respect of certain Key Managerial Personnel

26A. (1) Any vacancy in the office of Chief Executive Officer, Managing Director, Whole Time Director or Manager shall be filled by the listed entity at the earliest and in any case not later than three months from the date of such vacancy:

Provided that the listed entity shall not fill such vacancy by appointing a person in interim capacity, unless such appointment is made in accordance with the laws applicable in case of a fresh appointment to such office and the obligations under such laws are made applicable to such person.

(2) Any vacancy in the office of the Chief Financial Officer shall be filled by the listed entity at the earliest and in any case not later than three months from the date of such vacancy:

Provided that the listed entity shall not fill such vacancy by appointing a person in interim capacity, unless such appointment is made in accordance with the laws applicable in case of a fresh appointment to such office and the obligations under such laws are made applicable to such person.”

VI. in regulation 27, in sub-regulation (2), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely,-

“(ba) Details of cyber security incidents or breaches or loss of data or documents shall be disclosed along with the report mentioned in clause (a) of sub-regulation (2), as may be specified.”

VII. in regulation 30-

i. in sub-regulation (4),

a) in clause (i), in sub-clause (b), after the words and symbol “later date;” the word “or” shall be inserted;

b) in clause (i), sub-clause (c) shall be substituted with the following sub-clause, namely-

“(c) the omission of an event or information, whose value or the expected impact in terms of value, exceeds the lower of the following:

(1) two percent of turnover, as per the last audited consolidated financial statements of the listed entity;

(2) two percent of net worth, as per the last audited consolidated financial statements of the listed entity, except in case the arithmetic value of the net worth is negative;

(3) five percent of the average of absolute value of profit or loss after tax, as per the last three audited consolidated financial statements of the listed entity;”

c) in clause (i), after sub-clause (c) the following sub-clause and the proviso shall be inserted, namely,-

“(d) In case where the criteria specified in sub-clauses (a), (b) and (c) is not applicable, an event or information may be treated as being material if in the opinion of the board of directors of the listed entity, the event or information is considered material:

Provided that any continuing event or information which becomes material pursuant to notification of these amendment regulations shall be disclosed by the listed entity within thirty days from the date of coming into effect of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023.”

d) after clause (ii), the following provisos shall be inserted, namely-

“Provided that such a policy for determination of materiality shall not dilute any requirement specified under the provisions of these regulations:

Provided further that such a policy for determination of materiality shall assist the relevant employees of the listed entity in identifying any potential material event or information and reporting the same to the authorized Key Managerial Personnel, in terms of sub-regulation (5), for determining the materiality of the said event or information and for making the necessary disclosures to the stock exchange(s).”

- ii. sub-regulation (6) and the provisos thereunder shall be substituted by the following sub-regulation and provisos, namely,-

“(6) The listed entity shall first disclose to the stock exchange(s) all events or information which are material in terms of the provisions of this regulation as soon as reasonably possible and in any case not later than the following:

- (i) thirty minutes from the closure of the meeting of the board of directors in which the decision pertaining to the event or information has been taken;
- (ii) twelve hours from the occurrence of the event or information, in case the event or information is emanating from within the listed entity;
- (iii) twenty four hours from the occurrence of the event or information, in case the event or information is not emanating from within the listed entity:

Provided that disclosure with respect to events for which timelines have been specified in Part A of Schedule III shall be made within such timelines:

Provided further that in case the disclosure is made after the timelines specified under this regulation, the listed entity shall, along with such disclosure provide the explanation for the delay.”

- iii. in sub-regulation (11),

- a) after the words and symbols “stock exchange(s)” the symbol “.”, shall be replaced with the symbol “.”;
- b) after sub-regulation (11), the following provisos and the Explanation shall be inserted, namely,-

“Provided that the top 100 listed entities (with effect from October 1, 2023) and thereafter the top 250 listed entities (with effect from April 1, 2024) shall confirm, deny or clarify any reported event or information in the mainstream media which is not general in nature and which indicates that rumours of an impending specific material event or information in terms of the provisions of this regulation are circulating amongst the investing public, as soon as reasonably possible and not later than twenty four hours from the reporting of the event or information:

Provided further that if the listed entity confirms the reported event or information, it shall also provide the current stage of such event or information.

Explanation – The top 100 and 250 listed entities shall be determined on the basis of market capitalization, as at the end of the immediately preceding financial year.”

- iv. after sub-regulation (12), the following sub-regulation shall be inserted, namely-

“(13) In case an event or information is required to be disclosed by the listed entity in terms of the provisions of this regulation, pursuant to the receipt of a communication from any regulatory, statutory, enforcement or judicial authority, the listed entity shall disclose such communication, along with the event or information, unless disclosure of such communication is prohibited by such authority.”

- VIII. after regulation 30, the following regulation shall be inserted, namely,-

“Disclosure requirements for certain types of agreements binding listed entities: 30A.

(1) All the shareholders, promoters, promoter group entities, related parties, directors, key managerial personnel and employees of a listed entity or of its holding, subsidiary and associate company, who are parties to the agreements specified in clause 5A of para A of part A of schedule III to these regulations, shall inform the listed entity about the agreement to which such a listed entity is not a

party, within two working days of entering into such agreements or signing an agreement to enter into such agreements:

Provided that for the agreements that subsist as on the date of notification of clause 5A to para A of part A of schedule III, the parties to the agreements shall inform the listed entity, about the agreement to which such a listed entity is not a party and the listed entity shall in turn disclose all such subsisting agreements to the Stock Exchanges and on its website within the timelines as specified by the Board.

(2) The listed entity shall disclose the number of agreements that subsist as on the date of notification of clause 5A to para A of part A of schedule III, their salient features, including the link to the webpage where the complete details of such agreements are available, in the Annual Report for the financial year 2022-23 or for the financial year 2023-24.”

IX. after regulation 31A, the following regulation shall be inserted, namely,-

“Special rights to shareholders:

31B (1) Any special right granted to the shareholders of a listed entity shall be subject to the approval by the shareholders in a general meeting by way of a special resolution once in every five years starting from the date of grant of such special right:

Provided that the special rights available to the shareholders of a listed entity as on the date of coming into force of this regulation shall be subject to the approval by shareholders by way of a special resolution within a period of five years from the date of coming into force of this regulation:

Provided further that the requirement specified in this regulation shall not be applicable to the special rights made available by a listed entity to a financial institution registered with or regulated by the Reserve Bank of India under a lending arrangement in the normal course of business or to a debenture trustee registered with the Board under a subscription agreement for the debentures issued by the listed entity, if such financial institution or the debenture trustee becomes a shareholder of the listed entity as a consequence of such lending arrangement or subscription agreement for the debentures.”

X. in regulation 33, in sub-regulation (3), after clause (i), the following clause shall be inserted namely,-

“(j) The listed entity shall, subsequent to the listing, submit its financial results for the quarter or the financial year immediately succeeding the period for which the financial statements have been disclosed in the offer document for the initial public offer, in accordance with the timeline specified in clause (a) or clause (d) of this sub-regulation, as the case may be, or within 21 days from the date of its listing, whichever is later.”

XI. in regulation 34, in sub-regulation (2), clause (f) shall be substituted with the following clause, namely,-

“(f) for the top one thousand listed entities based on market capitalization, a Business Responsibility and Sustainability Report on the environmental, social and governance disclosures, in the format as may be specified by the Board from time to time:

Provided that the assurance of the Business Responsibility and Sustainability Report Core shall be obtained, with effect from and in the manner as may be specified by the Board from time to time:

Provided further that the listed entities shall also make disclosures and obtain assurance as per the Business Responsibility and Sustainability Report Core for their value chain, with effect from and in the manner as may be specified by the Board from time to time:

Provided further that the remaining listed entities, including the entities which have listed their specified securities on the SME Exchange, may voluntarily disclose the Business Responsibility and Sustainability Report or may voluntarily obtain the assurance of the Business Responsibility and Sustainability Report Core, for themselves or for their value chain, as the case may be.

Explanation-1: For the purpose of this clause:

- (i) market capitalization shall be calculated as on the 31st day of March of every financial year;
- (ii) Business Responsibility and Sustainability Report Core shall comprise of such key performance indicators as may be specified by the Board from time to time;
- (iii) “value chain” for the listed entities shall be specified by the Board from time to time.”

XII. after regulation 37, the following regulation shall be inserted, namely,-

“37A. Sale, lease or disposal of an undertaking outside Scheme of Arrangement

- (1) A listed entity carrying out sale, lease or otherwise disposal of the whole or substantially the whole of the undertaking of such entity or where it owns more than one undertaking, of the whole or substantially the whole of any of such undertakings, shall -

(a) take prior approval of shareholders by way of special resolution;

(b) disclose the object of and commercial rationale for carrying out such sale, lease or otherwise disposal of the whole or substantially the whole of the undertaking of the entity, and the use of proceeds arising therefrom, in the statement annexed to the notice to be sent to the shareholders:

Provided that such a special resolution shall be acted upon only if the votes cast by the public shareholders in favour of the resolution exceed the votes cast by such public shareholders against the resolution:

Provided further that no public shareholder shall vote on the resolution if he is a party, directly or indirectly, to such sale, lease or otherwise disposal of the whole or substantially the whole of the undertaking of the listed entity.

Explanation. —For the purposes of this regulation, the terms “undertaking” and “substantially the whole of the undertaking” shall have the same meaning as assigned to them under clause (a) of sub-section (1) of section 180 of the Companies Act, 2013.

- (2) The requirement as specified in sub-regulation (1) shall not be applicable for sale, lease or otherwise disposal of the whole or substantially the whole of the undertaking by a listed entity to its wholly owned subsidiary whose accounts are consolidated with such listed entity:

Provided that prior to such wholly owned subsidiary selling, leasing or otherwise disposing of the whole or substantially the whole of the undertaking received from a listed entity, whether in whole or in part, to any other entity, such listed entity shall comply with the requirements specified in sub-regulation (1):

Provided further that the listed entity shall comply with the requirements specified in sub-regulation (1) before diluting its shareholding below hundred percent in its wholly owned subsidiary to which the whole or substantially the whole of the undertaking of such listed entity was transferred.

Explanation: The provisions of this regulation shall not be applicable where sale, lease or otherwise disposal of the whole or substantially the whole of the undertaking of a listed entity is by virtue of a covenant covered under an agreement with a financial institution regulated by or registered with the Reserve Bank of India or with a Debenture Trustee registered with the Board.”

- XIII. in regulation 46, in sub-regulation (2), in clause (o), after the words “investors meet” and before the words “and presentations”; the words and symbols “at least two working days in advance (excluding the date of the intimation and the date of the meet)” shall be inserted.

- XIV. regulation 57 shall be substituted with the following, namely, -

“Intimation to stock exchanges

57. The listed entity shall submit a certificate to the stock exchange regarding status of payment of interest or dividend or repayment or redemption of principal of non-convertible securities, within one working day of it becoming due, in the manner and format as specified by the Board from time to time.”

- XV. in Schedule III, in part A-

- i. in paragraph A,

- a) sub-paragraph 1 shall be substituted with the following sub-paragraph, namely-

“Acquisition(s) (including agreement to acquire), Scheme of Arrangement (amalgamation, merger, demerger or restructuring), sale or disposal of any unit(s), division(s), whole or substantially the whole of the undertaking(s) or subsidiary of the listed entity, sale of stake in associate company of the listed entity or any other restructuring.

Explanation (1) - For the purpose of this sub-paragraph, the word 'acquisition' shall mean-

- (i) acquiring control, whether directly or indirectly; or
(ii) acquiring or agreement to acquire shares or voting rights in a company, whether existing or to be incorporated, whether directly or indirectly, such that -

- (a) the listed entity holds shares or voting rights aggregating to five per cent or more of the shares or voting rights in the said company; or
- (b) there has been a change in holding from the last disclosure made under sub-clause (a) of clause (ii) of the Explanation to this sub-paragraph and such change exceeds two per cent of the total shareholding or voting rights in the said company; or
- (c) the cost of acquisition or the price at which the shares are acquired exceeds the threshold specified in sub-clause (c) of clause (i) of sub-regulation (4) of regulation 30.

Explanation (2) - For the purpose of this sub-paragraph, “sale or disposal of subsidiary” and “sale of stake in associate company” shall include-

- (i) an agreement to sell or sale of shares or voting rights in a company such that the company ceases to be a wholly owned subsidiary, a subsidiary or an associate company of the listed entity; or
- (ii) an agreement to sell or sale of shares or voting rights in a subsidiary or associate company such that the amount of the sale exceeds the threshold specified in sub-clause (c) of clause (i) of sub-regulation (4) of regulation 30.

Explanation (3)- For the purpose of this sub-paragraph, “undertaking” and “substantially the whole of the undertaking” shall have the same meaning as given under section 180 of the Companies Act, 2013.”

- b) in sub-paragraph (3), before the words and symbols “Revision in Rating(s)”, the words and symbols “New Rating(s) or” shall be inserted;
- c) after sub-paragraph (5), the following sub-paragraph shall be inserted, namely-

“(5A) Agreements entered into by the shareholders, promoters, promoter group entities, related parties, directors, key managerial personnel, employees of the listed entity or of its holding, subsidiary or associate company, among themselves or with the listed entity or with a third party, solely or jointly, which, either directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the listed entity or impose any restriction or create any liability upon the listed entity, shall be disclosed to the Stock Exchanges, including disclosure of any rescission, amendment or alteration of such agreements thereto, whether or not the listed entity is a party to such agreements:

Provided that such agreements entered into by a listed entity in the normal course of business shall not be required to be disclosed unless they, either directly or indirectly or potentially or whose purpose and effect is to, impact the management or control of the listed entity or they are required to be disclosed in terms of any other provisions of these regulations.

Explanation: For the purpose of this clause, the term “directly or indirectly” includes agreements creating obligation on the parties to such agreements to ensure that listed entity shall or shall not act in a particular manner.”

- d) sub-paragraph (6) shall be substituted with the following sub-paragraph, namely-

“(6) Fraud or defaults by a listed entity, its promoter, director, key managerial personnel, senior management or subsidiary or arrest of key managerial personnel, senior management, promoter or director of the listed entity, whether occurred within India or abroad:

For the purpose of this sub-paragraph:

- (i) ‘Fraud’ shall include fraud as defined under Regulation 2(1)(c) of Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices relating to Securities Market) Regulations, 2003.
- (ii) ‘Default’ shall mean non-payment of the interest or principal amount in full on the date when the debt has become due and payable.

Explanation 1- In case of revolving facilities like cash credit, an entity would be considered to be in ‘default’ if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit or drawing power, whichever is lower, for more than thirty days.

Explanation 2- Default by a promoter, director, key managerial personnel, senior management, subsidiary shall mean default which has or may have an impact on the listed entity.”

- e) in sub-paragraph (7), after the words and symbols “Company Secretary etc.),” the words and symbol “senior management,” shall be inserted;
- f) after sub-paragraph (7B), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely-
 - “(7C) In case of resignation of key managerial personnel, senior management, Compliance Officer or director other than an independent director; the letter of resignation along with detailed reasons for the resignation as given by the key managerial personnel, senior management, Compliance Officer or director shall be disclosed to the stock exchanges by the listed entities within seven days from the date that such resignation comes into effect.
 - (7D) In case the Managing Director or Chief Executive Officer of the listed entity was indisposed or unavailable to fulfil the requirements of the role in a regular manner for more than forty five days in any rolling period of ninety days, the same along with the reasons for such indisposition or unavailability, shall be disclosed to the stock exchange(s).”
- g) in sub-paragraph (11), the words “reference to BIFR and” shall be omitted;
- h) in sub-paragraph (15), in item (a), after the words “investors meet” and before the words “and presentations”, the words and symbols “at least two working days in advance (excluding the date of the intimation and the date of the meet)” shall be inserted;
- i) after sub-paragraph (17), the following sub-paragraphs shall be inserted, namely-
 - “(18) Announcement or communication through social media intermediaries or mainstream media by directors, promoters, key managerial personnel or senior management of a listed entity, in relation to any event or information which is material for the listed entity in terms of regulation 30 of these regulations and is not already made available in the public domain by the listed entity.

Explanation – “social media intermediaries” shall have the same meaning as defined under the Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021.

- (19) Action(s) initiated or orders passed by any regulatory, statutory, enforcement authority or judicial body against the listed entity or its directors, key managerial personnel, senior management, promoter or subsidiary, in relation to the listed entity, in respect of the following:
 - (a) search or seizure; or
 - (b) re-opening of accounts under section 130 of the Companies Act, 2013; or
 - (c) investigation under the provisions of Chapter XIV of the Companies Act, 2013;

along with the following details pertaining to the actions(s) initiated, taken or orders passed:

- i. name of the authority;
 - ii. nature and details of the action(s) taken, initiated or order(s) passed;
 - iii. date of receipt of direction or order, including any ad-interim or interim orders, or any other communication from the authority;
 - iv. details of the violation(s)/contravention(s) committed or alleged to be committed;
 - v. impact on financial, operation or other activities of the listed entity, quantifiable in monetary terms to the extent possible.
- (20) Action(s) taken or orders passed by any regulatory, statutory, enforcement authority or judicial body against the listed entity or its directors, key managerial personnel, senior management, promoter or subsidiary, in relation to the listed entity, in respect of the following:

- (a) suspension;
- (b) imposition of fine or penalty;
- (c) settlement of proceedings;
- (d) debarment;
- (e) disqualification;
- (f) closure of operations;
- (g) sanctions imposed;
- (h) warning or caution; or
- (i) any other similar action(s) by whatever name called;

along with the following details pertaining to the action(s) initiated, taken or orders passed:

- i. name of the authority;
- ii. nature and details of the action(s) taken, initiated or order(s) passed;
- iii. date of receipt of direction or order, including any ad-interim or interim orders, or any other communication from the authority;
- iv. details of the violation(s)/contravention(s) committed or alleged to be committed;
- v. impact on financial, operation or other activities of the listed entity, quantifiable in monetary terms to the extent possible.

(21) Voluntary revision of financial statements or the report of the board of directors of the listed entity under section 131 of the Companies Act, 2013.”

ii. in paragraph B,

- a) sub-paragraph 2 shall be substituted with the following sub-paragraph, namely,-
 “2. Any of the following events pertaining to the listed entity:
 (a) arrangements for strategic, technical, manufacturing, or marketing tie-up; or
 (b) adoption of new line(s) of business; or
 (c) closure of operation of any unit, division or subsidiary (in entirety or in piecemeal).”
- b) in sub-paragraph 5, the words and symbols “(as a borrower)” shall be omitted;
- c) sub-paragraph 8 shall be substituted with the following sub-paragraph, namely,-
 “8. Pendency of any litigation(s) or dispute(s) or the outcome thereof which may have an impact on the listed entity.”
- d) sub-paragraph 9 shall be substituted with the following sub-paragraph, namely,-
 “9. Frauds or defaults by employees of the listed entity which has or may have an impact on the listed entity.”
- e) in sub-paragraph 11, after the words “a surety” and before the words “for any”, the words and symbols “, by whatever named called,” shall be inserted;
- f) after sub-paragraph 12, the following sub-paragraph shall be inserted, namely,-
 “13. Delay or default in the payment of fines, penalties, dues, etc. to any regulatory, statutory, enforcement or judicial authority.”

XVI. in Schedule V,

- i. in paragraph C, after sub-paragraph 5A, the following sub-paragraph shall be inserted, namely,-
 “5B. Senior management:

Particulars of senior management including the changes therein since the close of the previous financial year.”

- ii. after paragraph F, the following paragraph shall be inserted, namely,-

“G. Disclosure of certain types of agreements binding listed entities

(1) Information disclosed under clause 5A of paragraph A of Part A of Schedule III of these regulations.”

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./192/2023-24]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013.
2. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, were subsequently amended on:
 - a) December 22, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/27.
 - b) May 25, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2016-17/001.
 - c) July 8, 2016 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/008.
 - d) January 4, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2016 vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2016-17/025.
 - e) February 15, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/029.
 - f) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide Notification No. LAD-NRO/GN/2016- 17/037 read with March 29, 2017 by Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/38.
 - g) May 9, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/10.
 - h) May 30, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/13.
 - i) June 1, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2018 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/21.
 - j) June 8, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24.
 - k) September 6, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/30.
 - l) November 16, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2018 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/47.

- m) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/07.
- n) May 7, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/12.
- o) June 27, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/22.
- p) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/28.
- q) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2019/45.
- r) January 10, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/02.
- s) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- t) August 5, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/25.
- u) October 8, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2020/33.
- v) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/02.
- w) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/22.
- x) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide notification no. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- y) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification no. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/35.
- z) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/42.
- aa) September 7, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/47.
- bb) November 9, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/ LAD-NRO/GN/2021/55.
- cc) January 24, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/66.
- dd) March 22, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/76.
- ee) April 11, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/79.

- ff) April 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/80.
- gg) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/88.
- hh) November 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/103.
- ii) December 05, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/109.
- jj) January 17, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/117.
- kk) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.